ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ।।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय: 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली -110008

Head Office : 21, Rajendra Place, New Delhi – 110 008

असाधारण सामान्य बैठक
Extraordinary General Meeting

सोमवार, 11 नवम्बर 2019, प्रात: 10:00 बजे

Monday, 11 November 2019, 10.00 A.M

स्थान:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज
संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3
सेक्टर 3, रोहिणी
दिल्ली-110085

Venue:

Punjab & Sind Bank
Staff Training College
Institutional Area, Plot No.3
Sector 3, Rohini,
Delhi – 110085

जहाँ सेवा ही जीवन-ध्येय है / Where Service is a Way of Life

विषय सूची
CONTENTS

क्रम सं. **S. No.**	विषय **Subject**	पृष्ठ सं. **Page No.**
1.	सूचना NOTICE	3 11
2.	टिप्पणियां NOTES	4 11
3.	व्याख्यात्मक विवरणी EXPLANATORY STATEMENT	7 13
4.	प्रॉक्सी फॉर्म PROXY FORM	9 15
5.	उपस्थिति पर्ची सहित प्रवेश पास ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	10 16

PUNJAB & SIND BANK
Punjab & Sind Bank, Staff Training College,
Plot No.3, Institutional Area, Sector-3, Near Jaipur Golden Hospital,
Rohini, Delhi-1100 085

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ।।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालयः 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008

Head Office : 21, Rajendra Place, New Delhi – 110 008

सूचना

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बैठकें) अधिनियम 2008 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की **असाधारण सामान्य बैठक पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलिज़, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या 3, सैक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में सोमवार, 11 नवंबर, 2019 को प्रातः 10.00 बजे** आयोजित होगी। इसमें निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

मद संख्या 1 – अधिमान के आधार पर इक्विटी शेयर जारी करना

निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करना तथा उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है कि** राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (जिसे इसके बाद " **योजना** " कहा जाएगा) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008(जिसे इसके बाद " **विनियमन** " कहा जाएगा) के साथ गठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में " **अधिनियम** " कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिज़र्व बैंक (**आर.बी.आई.**), भारत सरकार**(भा.स.)** ,भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड **(सेबी)** और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, स्वीकृति और स्वीकृति के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) अधिनियम 2018 **(सेबी आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 (एल.ओ.डी.आर.)** और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबंद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जो इसके बाद संकल्प में **'निदेशक मंडल'** कहा गया है, जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित, उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो / की जानी हो, प्रदान की जाती है कि निदेशक मण्डल द्वारा इक्विटी के माध्यम से जिसका अंकित मूल्य रू. 10/- प्रति शेयर है, को रु. 787 करोड़ के शेयरों को अधिमान के आधार पर निर्धारित मूल्य रू.24.37/ प्रति ईक्विटी शेयर (जिसमें रू.14.37 का प्रीमियम सम्मिलित है), सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम के विनियम 164 (1) के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को 322938038 शेयर सृजित करें, उनका प्रस्ताव करें, जारी करें और उनका आबंटन करें"।

"**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** अधिमान के आधार पर ऊपर उल्लेखित न्यूनतम निर्गम मूल्य, निर्धारित असाधारण सामान्य बैठक से 30 दिन पहले अर्थात तिथि 11.10.2019 (12.10.2019 सप्ताहांत होने के कारण) प्रासंगिक है ।

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों को सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रस्तावों के संशोधन को स्वीकार करें।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले और आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयरों को अमूर्त रूप में जारी किया जाएगा और सेबी आईसीडीआर अधिनियमों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नियमों की शर्तों के अंतर्गत होंगे जैसा कि "सेबी आईसीडीआर अधिनियमों" की अपेक्षा के अनुसार अवरूद्धता अवधि की अनिवार्यताओं के अधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से (लाभांश सहित, यदि घोषित हो) समान माने जाएंगे।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद् द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामलें और विषय पर अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेज़ों और विलेखों को अंतिम रूप दें तथा निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित एवं आवश्यक, उचित तथा वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** निदेशक मंडल को एतद् द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या कार्यकारी निदेशक अथवा अन्य अधिकारी(अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उचित समझे।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Sd/-
(एस. हरिशंकर)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांकः 14.10.2019

टिप्पणियां :

1. बैंक ने सूचना के प्रेषण के लिए कट-ऑफ की तिथि 04.10.2019 तय किया है।

2. बैठक की विस्तृत सूचना, अंतर -, प्रारूप, प्रॉक्सी प्रपत्र और उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास आदि बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। www.psbindia.in (निवेशक जानकारी पृष्ठ)

3. व्याख्यात्मक विवरण: व्याख्यात्मक वक्तव्य बैठक के व्यवसाय के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है और उसे नोटिस का हिस्सा बनाया जाता है।

4. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने और वोट देने का पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर किसी प्रॉक्सी को बैठक में उपस्थित होने हेतु नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

यद्यपि, इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।

विनियम संख्या 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखित का कोई प्रदाता ऐसी किसी बैठक में स्वयं वोट देने का अधिकारी नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंध रखता है।

प्रॉक्सी फार्म तभी प्रभावी होगा यदि वह बैंक को अपने प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, (शेयर कक्ष), 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में बैठक से **4 दिन पहले तक अर्थात् बुद्धवार दिनांक 06.11.2019, को साँय 5.00 बजे** अर्थात् दिन की समाप्ति अथवा उससे पूर्व प्राप्त हो जाए।

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति ऐसे निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारक हों, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण सामान्य बैठक में तब तक न तो उपस्थित हो सकता है और न ही वोट दे सकता है जब तक जिस बैठक में उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का निर्णय लिया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि, बैठक की तारीख से 4 दिन पहले **अर्थात् बुद्धवार दिनांक 06.11.2019 को साँय 5.00 बजे** अर्थात् दिन की समाप्ति अथवा उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग, (शेयर विभाग), 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को प्राप्त हो जाए। विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।

6. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक-स्थल पर जमा करें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास पर यथास्थिति **'प्रॉक्सी'** अथवा **'प्राधिकृत प्रतिनिधि'** लिखें।

7. जिन शेयरधारकों के नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में दिनांक 04.11.2019 (सोमवार) अर्थात् निर्धारित अंतिम(क़ट ऑफ) तिथि को होंगे, वे ई-वोट (प्रक्रिया संलग्न) बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने के पात्र होंगे। कृपया नोट करें कि जिन शेयरधारकों ने ई-वोट के माध्यम से अपने वोट डाले हैं, वे बैठक में वोट देने के पात्र नहीं होंगे परन्तु बैठक में उपस्थित हो सकते हैं।

8. शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ संवाद : भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी संचार प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पते पर अपने ईमेल पते, डाक पते, आदि बैंक के हस्तांतरण एजेंट को अंतरंग / अद्यतन करने का अनुरोध करें:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.

यूनिट पंजाब एण्ड सिंध बैंक

नोबल हाइटस, पहला तल. प्लॉट नं. एलएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, ,

नियर सावित्री मार्किट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

फोन: +91 11 4141 0592, 93, 94 फैक्स: +91 11 4141 0591

ई-मेल: delhi@linkintime.co.in

डिमॉनेटाइज्ड फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को ईमेलपता , डाक पता , बैंक विवरण आदि में अपडेट करें, ताकि इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सभी संचार प्राप्त कर सकें।

9. शेयरधारियों के लिए अनुरोध: अगर शेयरधारक अपनी सवालों को, पंजाब और सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय के कंपनी के सचिव शेयरकक्ष , 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली -110008 या ईमेल से complianceofficer@psb.co.in को अग्रिम रूप से प्रेषित करते हैं, तो इसकी सराहना की जाएगी।

10 वोटिंग का अधिकार

एजेंडा आइटम हेतु मतदान करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख 04 नवंबर, 2019 है। विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक जो कि बैंक द्वारा निर्धारित कट -ऑफ तिथि पर अर्थात 04 नवंबर 2019 को एक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया हो उसके पास प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

अधिनियमों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर, दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले होगा, उसको वोटिंग के संबंध में उस शेयर का एकमात्र धारक माना जाएगा।

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2 ई) के संदर्भ में, केंद्र सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक, जिनके पास दस प्रतिशत से अधिक शेयरों को रखता हो मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

बैंक सभी शेयरधारकों को एजेंडा आइटम के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। ई-वोटिंग की अवधि 08 नवंबर, 2019 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 10 नवंबर, 2019 को शाम 5.00 बजे तक समाप्त होगी। लॉग-इन आईडी, पासवर्ड, प्रक्रिया का विवरण संलग्न है।जिन शेयरधारकों ने ई-वोट दिया है, वे ईजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकते। यदि वे मतदान के माध्यम से मतदान करते हैं, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

11 शेयरकक्ष :- शेयरधारकों को त्वरित और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए, बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में एक शेयर सेल की स्थापना की है, शेयरधारक इस सेल में किसी भी सहायता के लिए उल्लेखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, शेयरकक्ष , 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली -110008 011-25782926, 25812922, E-mail: complianceofficer@psb.co.in

अन्य सूचना :

- कृपया शेयरधारक नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

-सुरक्षा कारणों से ब्रीफकेस, खाद्य एवं अन्य संबंधित वस्तुएं बैठक कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। बैठक में आने वाले व्यक्तियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करें।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

Sd/-
(एस. हरिशंकर)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांकः 14.10.2019

ई–वोटिंग प्रक्रिया

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की असाधारण सामान्य बैठक के लिए ई-वोटिंग

सेबी के विनियमन 44 (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध , कंपनियों के नियम 20 (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 तथा समय-समय पर संशोधित नियम के अनुसार बैंक द्वारा असाधारण सामान्य बैठक हेतु शेयरधारकों को मतदान की सुविधा सीडीएमएल के द्वारा ई—वोटिंग के माध्यम से प्रदान की जाएगी ।

सदस्यों हेतु इलैक्ट्रॉनिक विधि से वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं :-

(i) दिनांक 08.11.2019 को प्रातः 10 बजे मतदान अवधि आरम्भ होगी और दिनांक 10.11.2019 को सायंकाल 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास अंतिम तिथि 04.11.2019 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अपना मतदान ईलैक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा मतदान प्रक्रिया रोक दी जाएगी।

(ii) शेयरधारकों को ई.वोटिंग साईट www.evotingindia.com पर मतदान हेतु लॉग ऑन करना चाहिए।

(iii) शेयरधारक पर क्लिक करें।

(iv) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।

क. सीएसडील हेतु – 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।

ख. एनएसडीएल हेतु – 8 स्वरूप की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।

ग. भौतिक रूप में शेयर धारक अपनी पंजीकृत फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।

(v) दर्शायी गई ईमेज को प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।

(vi) यदि आपके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान कर दिया है तो अपना वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।

(vii) यदि आप प्रथम वार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए कदमों का अनुसरण करेः

	भौतिक रूप तथा अभौतिक रूप (डीमेट) में शेयरधारकों हेतु
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक*पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) • ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना पैन कंपनी /डिपाजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है , से अनुरोध है कि वे पैन फील्ड में अनुक्रम जो पोस्टल बैलेट/उपस्थिति पर्ची पर इंगित है का प्रयोग करें।

लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि	लॉगिन करने हेतु अपने डिमेट खाते में या कंपनी रिकॉर्डस् में दर्ज लाभांश विवरण या जन्म-तिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास पंजीकृत नही हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियों संख्या जैसा कि (iv) में उल्लेखित है, प्रविष्ट करें।

(viii) इन विवरणों को प्रविष्ट करने के पश्चात्, प्रस्तुत "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।

(ix) सदस्य जिनके पास भौतिक रुप में शेयर हैं, सीधे सेलेक्शन स्क्रीन पर सीधे पहुँच सकते हैं। जबकि सदस्य जिनके पास डीमेट रुप में शेयर हैं "पासवर्ड क्रिएशन विकल्प" में पहुँचेंगे जहाँ,उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड स्थान में अपना लॉग इन पासवर्ड डालें । कृपया ध्यानपूर्वक नोट करें कि यह पासवर्ड, डीमेट धारकों द्वारा, किसी भी कंपनी, जिसमें वह वोट देने के लिए समर्थ है, जबकि वह कंपनी जिसमें CDSL द्वारा ई-वोटिंग करवाती हो, प्रयोग किया जा सकता है। आपको गंभीरता से सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।

(x) सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, विवरण का केवल उपयोग इस नोटिस में ई-मतदान हेतु दिए गए मसौदे में किया जा सकता है।

(xi) पंजाब एण्ड सिंध बैंक हेतु "EVSN" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।

(xii) वोटिंग पृष्ठ पर आप रिजोल्यूशन विवरण के समक्ष **हाँ/ नहीं** का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। आवश्यक **हाँ** अथवा **नहीं**, विकल्प का चुनाव करें। **हाँ** का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा **नहीं** का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।

(xiii) यदि आप सभी प्रस्तावों को देखना चाहते हैं तब "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" को क्लिक करें।

(xiv) वोट करने के प्रस्ताव को चुनने के पश्चात SUBMIT पर क्लिक करें । एक पुष्टि बॉक्स वहाँ दिखेगा, यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो CANCEL पर क्लिक करें और इसप्रकार आप अपना वोट बदल सकते हैं।

(xv) यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपना वोट कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(xvi) मतदाता पृष्ट पर "प्रिंट लेने हेतु यहाँ क्लिक करें" विकल्प पर क्लिक कर के आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

(xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना परिवर्तित पासवर्ड भूल गया है तब यूजर आईडी और ईमेज सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें और भूले हुए पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।

(xviii) शेयरधारक एन्ड्रॉएड आधारित मोंबइलों पर उपलब्ध सीडीएसएल के मोबइल ऐप एम-वोटिंग का उपयोग करके भी अपना वोट डाल सकते हैं। एम-वोटिंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप्पल एवं विंडोज फोन के उपयोगकर्ता क्रमश: ऐप स्टोर एवं विंडोज फोन स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबइल पर मतदान करते समय मोबइल ऐप द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें।

(xix) अवैयक्तिक शेयरधारक तथा अभिरक्षकों हेतु नोट

- अवैयक्तिक शेयरधारक (जैसे वैयक्तिक से अलग, हिंदू संयुक्त परिवार, एनआरआई आदि) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com लॉगइन करना होगा और कॉर्पोरेट के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
- पंजीकरण की स्कैन कॉपी जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर होने चाहिए, को helpdesk.evotingindia@cdslindia.com पर ई-मेल कर देना चाहिए।
- लॉगइन विवरण प्राप्त होने के बाद admin लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग कर अनुपालन यूजर क्रिएट कर लेना चाहिए। अनुपालन यूजर खाता(ओं) को लिंक करने मे समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
- सभी खातों की सूची helpdesk.evotingindia@cdslindia.com को मेल कर देनी चाहिए और खातों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, वो मतदान करने में समर्थ होंगे।
- अभिरक्षक के पक्ष में उनके द्वारा जारी पॉवर ऑफ अटार्नी और बोर्ड संकल्प की स्कैनड प्रति, यदि कोई है, को पीडीएफ प्रारूप में प्रणाली में अपलोड करना चाहिए ताकि छानबीन करने वाला उसको सत्यापित कर सके।

(xx) व्यक्तियों जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और नोटिस को प्रेषित करने के बाद भी ई-वोटिंग हेतु उपरोक्त प्रक्रिया अपना सकते हैं।
टिप्पणीः यदि कोई सदस्य(ओं) अपने वोट दोनों अर्थात भौतिक रूप या ई-वोटिंग से मतदान करता है तो ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान मान्य रहेगा तथा भौतिक मतदान को अनदेखा कर दिया जाएगा। यद्यपि जिस शेयरधारक ने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है वह असाधारण सामान्य बैठक में सहभागिता कर सकता है किंतु पोल में वोट नहीं कर सकता।
श्री दीपक गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव(सीपी नं. 4629) को इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के लिए अंकेक्षक नियुक्त किया गया है, जो पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोटों की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा इसे बैठक संपन्न होने के 48 घंटों के भीतर अक्षरश:, असाधारण सामान्य बैठक की संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे;
अध्यक्ष द्वारा घोषित परिणाम के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद डाल दिया जाएगा;
पर्याप्त वोट की प्राप्ति पर संकल्प को असाधारण सामान्य बैठक के दिन पारित माना जाएगा;

बैठक की सूचना www.psbindia.com तथा www.cdsindia.com पर भी प्रदर्शित है।

यदि ई-वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गतwww.evoting@cdsindia.com पर ई-वोटिंग मेनुअल उपलब्ध है या helpdesk.evoting@cdsindia.com को ई-मेल करें या श्री राकेश दालवी, प्रबंधक, सीडीएसएल , ए विंग, 25वां तल ,मैराथोन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्डस्, एन एम जोशी मार्ग, लॉवर परेल (ई), मुम्बई - 400013 या श्री भारत भूषण, एसोशिएट उपाध्यक्ष, लिंक ईनटाइम प्रा. इंडिया लिमिटेड, लिंक हाइट्स प्रथम तल , प्लॉट संख्या 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी ,सावित्री बाजार के नजदीक जनकपुरी नई दिल्ली-58 दूरभाष नं. 011-41410592,41410593 को संपर्क करें या delhi@linkintime.co.in पर ई-मेल करें।

व्याख्यात्मक कथन एवं प्रकटनः

मद संख्या 1

सेबी (आईसीडीआर) की शर्तों के अंतर्गत् अपेक्षित आवश्यक प्रकटन :

क. अधिमान निर्गम के उद्देश्य

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में पूंजी पर्याप्तता हेतु रु. 787,00,00,000 तक की पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव है ताकि अधिमान के आधार पर पूंजी का निवेश सृजन, निर्गम और आवंटन के अधिमान भारत सरकार के पक्ष में होगा।

ख. सेबी (आईसीआरडी) अधिनियम, 2018 की विनियम 164 (1) के अनुसार शेयरधारक की मंजूरी से 322938038 इक्विटी शेयरों रु.10.00 प्रति शेयर और रु.14.37 प्रति शेयर के प्रीमियम पर भुगतान किया जाता है। सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार तरजीही के आधार पर भारत सरकार के पक्ष में रु. 787,00,00,000 तक की राशि की इक्विटी शेयर जारी किया जाता है।

ग. बैंक के प्रमोटर होने के कारण संपूर्ण अधिमान शेयर भारत सरकार के पक्ष में जारी किए जाएंगे । सेबी (आईसीआरडी) अधिनियम एवं समय- समय पर संशोधित नियम के अनुसार अधिमान के आधार पर निर्गम मूल्य, निर्धारित असाधारण सामान्य बैठक से 30 दिन पहले अर्थात तिथि 11.10.2019 (12.10.2019 सप्ताहांत होने के कारण) तक प्रासंगिक है ।

घ. बैंक की शेयरधारिता स्वरूप, शेयर के निर्गम से पहले तथा बाद में निम्न प्रकार हैः

क्र.सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले		निर्गम के बाद	
		शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
क.	प्रवर्तक धारिता (भारत सरकार)	483324032	80.28	**806262070**	**87.16**
ख.	अन्य शेयर धारक	118735354	19.72	118735354	12.84
	कुल योग	**602059386**	**100.00**	**924997424**	**100.00**

भारत सरकार की निर्गम के बाद शेयर धारिता 87.16% रहेगी और जिसके कारण नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

ङ. बैंक का प्रयास सेबी (आईसीडीआर) अधिनियमों 2018 द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर निर्गम जारी करने का है।

च. भारत सरकार को 322938038 इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आवंटन के परिणामस्वरूप, भारत सरकार के इक्विटी शेयरों की हिस्सेदारी बढ़कर 806262070 (87.16%) हो जाएगी और नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा।

छ. भारत सरकार की निर्गम पूर्व और निर्गम के बाद में जारी की गई हिस्सेदारी निम्नानुसार होगी:

	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम से पहले	483324032	80.28
निर्गम के बाद	806262070	**87.16**

ज. सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम 2018 के नियम 164(3) और 167(5) एवं सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के तहत खुलासे 163(आई) ,(जी) & (एच) अंतर्गत बैंक के इक्विटी शेयरों को छब्बीस सप्ताह से अधिक समय से सूचीबद्ध किया गया है पर लागू नहीं होगा ।

झ. सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम 2018 के नियम 167(1) भारत सरकार को अधिमान से पूर्व जारी संपूर्ण शेयरधारिता संबंधित तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु अवरूद्ध अवधि में रहेगी । विशेष प्रस्ताव के अनुसार आवंटित किए गए शेयरों हेतु स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी अनुमोदन की तिथि से प्रवर्तकों को अधिमान आधार पर प्रस्तावित जारी किए जाने वाले नए ईक्विटी शेयर अर्थात भारत सरकार के शेयर ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की अवरूद्धता अवधि में रहेंगे हालांकि अधिमान आधार पर जारी बैंक के 20 प्रतिशत से अधिक शेयर को अवरूद्ध नहीं कर सकते है ।

ञ. केंद्रीय सांविधिक लेखाकारों द्वारा जारी प्रमाणपत्र जोकि प्रमाणित करता हो कि अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार निर्गम जारी किया जा रहा है, 11 नवंबर 2019 को ई.जी.एम. में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

ट. भारत सरकार की धारिता में सभी शेयर डीमेट रूप में हैं और बैंक के शेयर जिन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए करार, सेबी के विभिन्न अधिनियमों में निर्धारित ईक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीबद्धता के नियम एवं शर्तों का बैंक अनुपालन कर रहा है।

ठ. भारत सरकार के पक्ष में जारी किए जाने वाले शेयर सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम-2018 /अन्य कोई सांविधिक अनुमोदन जैसा कि संबंधित समय और उसके किसी संशोधन सहित, की शर्तों के अधीन हैं।

ड. भारत सरकार ने संबंधित तिथि से छः महीने की अवधि के अंदर कोई शेयर नहीं बेचा है।

ढ. सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम 2018 के नियम 160 और एलओडीआर के निर्देशानुसार अधिमान आधार पर जारी शेयर को बैंक के शेयरधारक से मंजूरी ली जाती है ।

ण. कोई भी निदेशक अथवा मुख्य प्रबंधन व्यक्ति ईक्विटी शेयरों में अभिदान नहीं देगा।

त. उपर्युक्त ढ़ग से जारी किए गए इक्विटी शेयर घोषणा के समय जोर दिए गए वैधानिक दिशा-निर्देशों के अनुसरण में बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ घोषित लाभांश सहित सभी दृष्टियों से समान होंगे।

थ. बैंक के कोई भी निदेशक संकल्प हेतु या तो इच्छुक नहीं है या इसमें दिलचस्पी नहीं है, सिवाय यदि बैंक में उनकी हिस्सेदारी की सीमा हो ।

आपके निदेशक स्वीकृति के लिए प्रस्ताव की अनुशंसा करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

Sd/-
(एस. हरिशंकर)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांकः 14.10.2019

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ।।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)

अनुलग्नक –अ

प्रधान कार्यालयः 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008

(असाधारण सामान्य बैठक : 11.11.2019)

Head Office : 21, Rajendra Place, New Delhi – 110 008

फार्म 'बी'

प्रॉक्सी फॉर्म

[शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए]

मैं/हम----------निवासी----------
जिला----------राज्य ----------का/की/के हैं जोकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमति----------निवासी----------
----------जिला---------- , राज्य ----------को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर श्री/श्रीमति----------निवासी----------
----------जिला----------राज्य----------को सोमवार, 11 नवंबर ,2019 को प्रातः 10.00 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में जोकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3 सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगन होने की स्थिति में मेरी/हमारी ओर से मेरे/ हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

----------माह के ----------दिन 2019 को हस्ताक्षरित

पंजीकृत फोलियो न./ग्राहक का आईडी.न.
शेयरों की संख्या

कृपया रसीदी टिकट लगाएं

---------- ----------

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर — एकल/प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम: — नाम:

पता: — पता :

प्रॉक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं दर्ज करने सबंधी अनुदेश

1. कोई भी प्रॉक्सी प्रलेख वैध नहीं होगा जब तक किः
   - क) व्यक्तिक शेयरधारक के मामले में, यह उसके द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
   - ख) संयुक्त शेयरधारक के मामले में यह रजिस्टर में प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
   - ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या अटार्नी विधिवत् लिखित रूप में होनी चाहिए।
2. प्रॉक्सी प्रलेख शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा जोकि किसी कारण से अपना नाम नहीं लिख पाता है, यदि उस पर इसका चिह्न है तथा न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्र अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित है।
3. **प्रॉक्सी के साथः**
   - **क)** अटार्नी अधिकार या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है तो) जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं या
   - **ख)** नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अटर्नी अधिकार की **प्रति पजांब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008** को असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् **बुधवार 06 नवंबर 2019 (5.00 बजे सायंकाल) को कार्यसमय समाप्त होने से पूर्व या उस तिथि को प्रस्तुत करनी होगी।**
4. यदि संबंधित अटर्नी अधिकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक में या शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो अटार्नी अधिकार का रजिस्ट्रेशन संख्या तथा उसकी तिथि का उल्लेख किया जाए।
5. यदि प्रॉक्सी प्रलेख फार्म "बी" पर नहीं है तथा विधिवत् स्टाम्प नहीं है तो वह वैध नहीं माना जाएगा।
6. बैंक में जमा प्रॉक्सी प्रलेख अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा।
7. यदि प्रॉक्सी प्रलेख विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा ।
8. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रलेख निष्पादित किया है उसे असाधारण सामान्य बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगी जिससे वह प्रलेख संबंधित है।
9. पजांब एण्ड सिंध बैंक के किसी कार्मिक या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त नही किया जा सकता है।।

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ।।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)

अनुबंध-ए

उपस्थिति पर्ची
असाधारण सामान्य बैठक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज,
संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3 सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली-110085

सोमवार, 11 नवंबर, 2019 प्रातः 10.00 बजे

[कृपया उपस्थिति पर्ची को पूर्ण रूप से भर दें एवं बैठक हॉल के पंजीकरण काउंटर पर उसे सौंप दें]

डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/पंजीकृत फोलियो			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ।।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)

प्रवेश पास
असाधारण सामान्य बैठक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज,
संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3 सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली-110085

सोमवार, 11 नवंबर, 2019 प्रातः 10.00 बजे

डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/पंजीकृत फोलियो			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

नोट - मतदान की स्थिति में मतपत्र केवल प्रवेश पास पर जारी किया जाएगा।

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ।।

ਪੰਜਾਬ ਏਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ (भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 57 of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PUNJAB & SIND BANK will be held on **Monday, the 11th day of November, 2019** at 10.00 a.m. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085, to transact the following Special business:

Item No. 1: Issue of Equity Shares on Preferential Basis.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolutions(s) as Special Resolution(s):

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the **"Act"**) read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the **"Scheme"**) and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the **"Regulations**") and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India **(RBI)**, Government of India **(GOI)**, Securities and Exchange Board of India **(SEBI)**, and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 [**SEBI (ICDR) Regulations], SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations 2015 (SEBI (LODR) Regulations),** as amended from time to time and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"Board")** which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot up to 322938038 Equity Shares to the President of India (Government of India) on preferential basis, of the face value of Rs. 10/- each on preferential basis at a issue price of Rs.24.37 per Equity Share (including premium of Rs.14.37 per equity share) determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI (ICDR) Regulations as amended from time to time amounting to Rs.787 Crore (Rs. Seven Hundred Eighty Seven Crore only)."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the **Relevant Date** for the preferential issue, for determination of minimum price of the issue of the above mentioned equity shares shall be 11.10.2019 (12.10.2019 being weekend), being the date 30 days prior to the date of EGM**."**

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities & Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under "SEBI (ICDR) Regulations" and shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines or any other law that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 14 October, 2019

Sd/-
(S Harisankar)
MD & CEO

NOTES:

1. The Bank has fixed 04.10.2019 as the cut – off date for dispatch of notice.
2. Detailed notice of the aforesaid meeting containing, inter – alia, formats of , Proxy form and Attendance Slip cum Entry Pass etc are available for downloading from the website of the Bank viz. www.psbindia.in (Investor Info Page')
3. **EXPLANATORY STATEMENT**
   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of notice.
4. **APPOINTMENT OF PROXY**
   A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend instead of himself/herself, and such a proxy need not be a shareholder of the bank.
   However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Regulations.

   As per the Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office Accounts Department (Share Cell), 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. on Wednesday, 06th November, 2019.**
5. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**
   No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at HO Accounts Department (Share Cell), 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. on Wednesday, 06th November, 2019.** No person shall be appointed as duly authorized representative who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Regulations.

6. **ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum- Entry Pass as "proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

7. Shareholders whose names appear in the Register of Shareholders of the Bank on 04th November, 2019, (Monday) being the "cut-off Date" fixed, shall be entitled to e- vote (procedure annexed)/ attend and vote at the meeting. Please note that shareholders who have casted vote through e-voting shall not be entitled to vote at the meeting but they can attend the meeting.

8. **COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

Link Intime India Pvt Ltd.
Unit: Punjab & Sind Bank
Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block,
Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058
Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591
Email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

9. **REQUEST TO SHAREHOLDERS**:

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 21 Rajendra Place, New Delhi-110008 or email to complianceofficer@psb.co.in.

10. **VOTING RIGHTS**

The cut – off date for determining the eligibility of shareholders to exercise voting for Agenda item is 04th November 2019. As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the cut – off date as determined by the Bank i.e. 04th November 2019 shall have one vote for each share held by him/ her.

As per Regulation 10, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

The Bank is offering e-voting facility for agenda items to all shareholders. The e-voting period shall commence on 08th November, 2019 from 10.00 a.m. and end on 10th November, 2019 up to 5.00 p.m. beyond which shareholders cannot e-vote. Details for log-in ID, password, procedure is annexed. The shareholders who have e-voted can participate in the EGM but cannot participate in poll. In case they vote through poll, the same will not be considered.

11. **SHARES CELL**

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, Head Office, Shares Cell, Accounts & Audit Department,
21 Rajendra Place, New Delhi-110008, Telephone: 011-25782926, 25812922, E-mail: complianceofficer@psb.co.in

OTHER INFORMATION

- ***Shareholders may kindly note that no gift/gift coupons will be distributed at the meeting.***
- ***Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.***

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 14 October,2019

Sd/-
(S.Harishankar)
MD & CEO

E-VOTING

E-Voting for the Extraordinary General Meeting of Punjab & Sind Bank

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchange, Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Bank shall provide facility of e-Voting, through CDSL, to the shareholders for the EGM.

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

(i) The voting period begins on 08.11.2019 at 10.00 a.m. and ends on 10.11.2019 at 5.00 p.m. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 04.11.2019, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders/Members

(iv) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot/Attendance Slip indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If Demat account holder has forgotten the changed login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xix) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
  A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xx) Person who have acquired shares and become members after despatch of notice may also use the above given procedure for remote e-voting.
Note: In case member(s) cast their vote both via Physical Ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored. However, shareholder(s) who have casted their vote through e-voting can participate in General Meeting but cannot vote in poll.
Mr. Deepak Gupta, Practicing Company Secretary (CP No.4629) has been appointed as the scrutinizer to the electronic voting process and for poll at the Extraordinary General Meeting, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/ against, to the Chairman of the Extraordinary General Meeting within 3 days of the conclusion of the meeting; The results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Bank and on the website of CDSL e-Voting immediately after the result is declared by the Chairman; Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution(s) shall be deemed to be passed on the date of the Extraordinary General Meeting; Notice of the meeting is also displayed at www.psbindia.com and www.evotingindia.com

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013.or Call Mr. Bharat Bhushan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058 Phone-41410592, 41410593 or write an email to delhi@linkintime.co.in.

EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURES:

Item No. 1

Disclosures as required to be made in terms of SEBI (ICDR) Regulations are as follows:

a) **Objects of the Preferential Issue :**
To strengthen the capital adequacy of the Public Sector Banks (PSBs), the Government of India has decided to infuse capital to the extent of Rs.787,00,00,000 to the Bank. The capital infusion will be by way of creation, issue and allotment of equity shares in favour of Government of India on preferential allotment basis.

b) Shareholder approval is therefore sought for the issue of 322938038 equity shares of Rs.10 each fully paid for cash at premium of Rs.14.37 per share determined in accordance with Regulation 164(1) of SEBI ICDR Regulations, 2018 upto the amount of Rs.787,00,00,000 only, through preferential issue of equity shares in the favour of GOI, as per SEBI (ICDR) Regulations.

c) The entire preferential issue will be subscribed by the GOI – the promoter of the Bank.
The relevant date for the preferential issue, as per the SEBI (ICDR Regulations) as amended from time to time, for the determination of price for the issue of the above mentioned equity shares shall be 11.10.2019 (12.10.2019 being weekend) being the date 30 days prior to the Extraordinary General Meeting.

d) The share holding pattern of the Bank before and after Preferential issue of shares to the Government of India will be as under :

S No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Shares held	Percentage of shareholding	No. of Shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding (GOI)	483324032	80.28	**806262070**	87.16
B	Non- Promoter Holding	118735354	19.72	118735354	12.84
	Total	**602059386**	**100.00**	**924997424**	**100.00**

The post issue holding of the Government of India will stand at 87.16% and consequently, there will be no change in control.

e) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

f) Consequent to the preferential allotment of 322938038 Equity Shares to the Government of India, the equity shares holding of the Government of India will stand increased to **806262070** (87.16%) and there will be no change in control.

g) The Pre and Post issue shareholding of the proposed allottee viz. Government of India would be as under:

	Number of Shares	**Percentage to Capital**
Pre-issue	483324032	80.28
Post – issue	**806262070**	87.16

h) The Equity Shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 164 (3) and 167 (5) of SEBI (ICDR) Regulations and the disclosures under Regulation 163(1) (g) & (h) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 are not applicable.

i) The Equity Shares holding of the Government of India shall be subject to Lock-in in terms of Clause 167(1) of SEBI ICDR Regulations, 2018. Equity shares proposed to be allotted on preferential basis to the Government of India shall be locked-in for three years from the date of trading approval granted for the equity shares, however, not more than 20% of total capital of the Bank shall be locked in for 3 years from the date of trading approval. The entire pre-preferential allotment shareholding of the Government of India shall be locked-in from the 'Relevant Date' up to a period of six months from the date of trading approval.

j) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the meeting and a copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extraordinary General Meeting on 11th November, 2019.

k) All the Equity Shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of Equity Shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.

l) The issuance of Equity Shares in favour of the Government of India shall be subject to SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as may be applicable at the relevant time including any amendment(s) thereof.

m) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

n) In terms of SEBI (LODR) Regulations and in terms of Regulations 160 of SEBI (ICDR) Regulations, approval of the shareholders of the Bank is required by way of Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis.

o) None of the Directors or Key Management persons will subscribe to the Equity Shares.

p) The Equity Shares to be issued as above shall rank pari-passu in all respects (including dividend declared, if any) with the existing equity shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

q) None of the Directors of the Bank is concerned or interested in the resolution, except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

Your Directors recommend the resolution for your approval.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 14 October, 2019

[S. Harishankar]
MD & CEO

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ।।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)

Annexure-'A'

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008
{EXTRAORDINARY GENERAL MEETING}: 11.11.2019

FORM 'B'
PROXY FORM

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We……...Resident of ……. ……..in the district of…….. in the State of …… being a shareholder /shareholders of the Punjab & Sind Bank, hereby appoint Shri/Smt …….. resident of……..……..in the district of ……in the State of ……or failing him/her, Shri/Smt …….. resident of …… in the district of …… in the State of ……. as my / our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held on **Monday the 11th November, 2019** at 10.00 A.M. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085 and at any adjournment thereof.

Signed this …….. day of ……. 2019

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares

Please affix
Revenue
Stamp

--- ---
Signature of Proxy Signature of the sole / first named shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.

2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.

3. The proxy together with : (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 1st Floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of **Wednesday, the 06th day of November, 2019 (5.00 p.m.).**

4. In case the relevant Power of Attorney is already registered with Punjab & Sind Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.

5. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.

6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.

9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ।।

ਪੰਜਾਬ ਏਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)

(Annexure-'B')

ATTENDANCE SLIP
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3,
Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085

Monday, November 11, 2019, 10.00 a.m.

[Please fill in the Attendance slip and hand it over at the Registration counter]

Regd. Folio/ DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ।।

ਪੰਜਾਬ ਏਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)

ENTRY PASS
(To be retained throughout the meeting)
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3,
Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085

Monday, November 11, 2019, 10.00 a.m.

Regd. Folio/DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

Note : Ballot Paper for polling will be issued against the entry pass only.